The second of the second

नं. 45/3/91-5 जी.एस.-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियोणा सरकार ।

सेवा में

- सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अभ्वाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।
- general and the second of the सभी उपायुक्त एवं सभी उप मण्डल शिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।

er over de legal og priktet i prikte var de flytte <del>i state i ver</del>

रजिस्ट्रार,पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालयः। दिनोक चण्डीगढ 13 मई, 1991।

विषय: --मानसिक रूप से विकलांग/कमजोर बक्बों के माता पिता को सुगम स्थानों पर नियुक्त/स्थानान्तरित करने बारे ।

महोदयं, १८१० ! प्रीय प्रतिकृतिक स्थान । १९५० वर्षा । १९५० वर्षा । १९५० वर्षा

ः । मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भितःविषयःकी और श्रापका दिवान दिलान और यह कहे कि सरकाराने स्थानान की नीति में यह बिन्दु भी जोड़ने का निर्णयः/श्रिया है किः मानसिकः रूपःसे विकलाग/कमजोर ब≑चीं के माता⊸पिता ऐते बच्चों के इलाज के लिये जिन स्थानों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं वहां सामान्य स्थानान्तरण के सा स्थानान्तरित कियाजाये । इन निर्देशों की ग्रनुपालना दृढ़ता से की आए । TARREST REST OF MARKET SHAPE

的一种,我们是自己的时间,但是**你的事情,我还**不是一个人,我们还是一个人,不是是一个

भवदीय, and the second

TOTAL TOTAL TOTAL TO ME TEN TO THE TEN TOTAL T

अवर सचिव, सामान्य प्रशा कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

एक प्रति सभी विस्तायुक्त एवं स**चि**व, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं ब्रागमी कार्यवाही हेत् प्रीयत है।

**ह**स्ता/---

अवर सचिव, सामान्य प्रशा कृते: मुख्य सन्तिय, हरियाणा सरक

सेवा में

सभी विस्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार । **अ**शाऋमांक 4.5/3/91 5 जी.**एस.∦.** 

. दिनांक 13 सई, <u>1</u>99